

ध्वनि विस्तारक यंत्रों, गाड़ियों (दो पहिया वाहनों) एवं पशुओं का प्रयोग प्रचर हेतु वर्जित होगा।

11. निर्वाचन के दिन विद्यार्थी संगठन एवं सभी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों का सहयोग करेंगे जिससे चुनाव शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सकें तथा निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य अथवा सामान्य सदस्य अपने मत का बिना किसी व्यवधान के अथवा बिना किसी विवाद के उपयोग कर सकें। मतदान के दिन कोई प्रचर नहीं होगा।
12. प्रत्याशियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना पास अथवा कॉलेज के सक्षम अधिकारी के अनुमति पत्र के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेंगे।
13. प्राचार्य निष्पक्ष प्रेक्षाक नियुक्त करेंगे। यदि प्रत्याशियों को मतदान प्रक्रिया में कोई कठिनाई है अथवा शिकायत है तो वह इस प्रेक्षाको के संहान में लाएंगे।
14. मतदान समाप्ति के ४८ घंटे के अन्दर मतदान क्षेत्र की सफाई सभी प्रत्याशियों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।
15. उपर्युक्त किसी अनुशासना का पालन न करने पर आवश्यकतानुसार प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है अथवा उसे निर्वाचित पद से पदव्युत किया जा सकता है। कॉलेज के अनुशासक ऐसे किसी भी अवज्ञाकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगे।
16. उपर्युक्त आचर संहिता के साथ-साथ यह भी अनुशासना की जाती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 (धारा (153 ए) और अध्याय (ix ए) चुनाव संबंधी अपराध भी छात्र-संघ चुनाव में लागू रहेंगे।

नोट: मतदान गुप्त कैमरा और वीडियो कैमरा के देखरेख में होगा। प्रत्याशी और मतदाता दोनों ही उपर्युक्त नियमों के पालन में सहयोग करें अन्यथा प्रत्याशी के परिणाम (यदि जीत जाता है तो) निरस्त किया जा सकते हैं और मतदाता को नियमानुसूल दण्ड प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

Anil Singh

(डा. अनिल कुमार सिंह)

मुख्य चुनाव अधिकारी

(डॉ० एम० मेसी)
प्राचार्य